

वर्ष 2016-17

उपरोक्त मिश्रित में समस्त अर्जित संपत्ति का विवरण एवं -

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम- आर.के. जैन
- 2. वर्तमान धारित पद- Addl. OA
- 3. कार्यालय का नाम- मुख्य अभियंता अड्डा - स/सं
- 4. वर्तमान वेतन- Rs. 18,220/- + G.P.C. 3807/-
- 5. भविष्यनिधि क्र.- 25924802
- 6. कर्मचारी क्र.- 92340263 म.प्र. पौ. प्रौ. के. लि.

उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मंडल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अन्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जबलपुर	गृह	-	लगभग 40,00,000/-	स्वयं तथा पत्नी के नाम पर (संयुक्त रूप से)	बैंक रिजर्व द्वारा	निरंक	-

हस्ताक्षर - [Signature]
 नाम - आर.के. जैन
 पद - अति. का. स. डी.

- * जहां लागू न हो कांट दीजिये।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- मंडल द्वारा ग्राह्य स.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसके स्मावित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण दें।